RAJYA SABHA

Thursday, the 11th August, 1994/ 20 Sravana, 1916 (Saka)

The House met at eleven of the clock. Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*261. [*The Questioner (Shri Ram Nath Kovind) was absent. For answer Vide Col... Infra.*]

Action Plan to give Impetus to Bhopal gas tragedy claims settlement

*262. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an action plan with the Madhya Pradesh Government has been formulated to give an impetus to the settlement of claims cases of Bhopal gas tragedy; if so, the details thereof;

(b) whether, after formulation of the action plan, the procedure for settlement of compensation cases of gas victims has been further simplified; and

(c) if so, whether six lakh compensation cases of gas victims of Bhopal are likely to be settled in three years; if not, by when all the cases will be settled?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM LAKHAN SINGH YADAV): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) जी, नहीं। फिर भी, लंबित दावों के शीघ्र निपटान के संबंध में जांच करने तथा सलाह देने के लिये भारतीय उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एन०एम० कासलीवाल की अध्यक्षता में सरकार ने एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति (एच०एल०सी०सी०) गठित की है। समिति 11-1-94 से एक वर्ष की अवधि के लिये कार्य करेगी और समय-समय पर ऐसी सिफारिशें करेगी जैसी यह आवश्यक समझे। सरकार को समिति से अभी तक कोई सिफारिश नहीं मिली है।

(क) कल्याण आयुक्त ने सूचित किया है कि मुआवजा मामलों का निपटान 3 वर्ष में होने की संभावना है बशर्ते सभी 56 अदालतें कार्य करना शुरू कर दें। मामलों के निपटान की स्थिति को सरकार नजदीक से मानीटर कर रही है और किसी प्रकार की कोई बाधा जो मामलों को निपटाने में कल्याण आयुक्त को पेश आ रही हों, को दूर करने के लिये कल्याण आयुक्त से नियमित संपर्क बनाये हुये है।

श्री सुरेश पचौरी : माननीय सभापति जी, इस माननीय सदन ने भोपाल गैस लीक डिजास्टर बिल पिछले समय पास किया था जिसमें यह प्रावधान था कि भोपाल गैस पीड़ितों के दावों के निपटान के लिये 56 दावा अदालतों का गठन किया जायेगा लेकिन जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, उसमें यह स्वीकारा है कि अभी तक पूरी दावा अदालतों का गठन नहीं हुआ है। अभी तक जो दावा अदालतें वहां काम कर रही हैं, वह 38 है और पांच अपील न्यायालय वहां काम कर रहे हैं जबकि 11 अपील न्यायालयों को वहां काम करना चाहिये। अभी तक जिन प्रकरणों का निपटारा हुआ है, उनकी संख्या 84028 है जब कि 6,39,000 टोटल प्रकरणों का निपटान होना है। यदि इसी गति से निपटारा गैस पीड़ितों के दावों का होता रहा तो आधे गैस पीड़ित स्वर्ग सिधार जायेंगे जब तक उनको क्लेम मिल जायेंगे। मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकारा है कि वेलफेयर कमिश्नर ने यह कहा है कि तीन वर्ष तक इन मुआवजों का निपटारा होने की संभावना है बशर्ते सभी 53 अदालतें कार्य कर रही हों। यह शर्त जोड़ी है। अभी तक इस बिल को पास करने के बाद जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि

56 दावा अदालतें प्रारंभ की जायेंगी केवल मध्य प्रदेश में 38 दावा अदालतें प्रारंभ हुई हैं। यह बात कही जा रही है कि मेजीस्ट्रेटस की कमी है। मध्य प्रदेश सरकार ने यह सिफारिश की है कि सीनियर एडवोकेटस की सेवायें ली जा सकती हैं, रिटायर्ड जजेज की सेवायें ली जा सकती हैं। इसके लिये श्री एन.एम. कासलीवाल समिति का गठन किया गया था 11-1-94 को...

MR. CHAIRMAN: Will you please sum up your question?

श्री सुरेश पचौरी : माननीय सभापति जी मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने जैसे कि इच्छा जाहिर की है कि सीनियर एडवोकेटस और रिटायर्ड जजेज की सेवायें को इन विशेष दावा अदालतों में शामिल किया जाए, उनकी सेवाओं को लिया जाए, क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे ? दूसरा, राज्य सरकार ने ऐसी इच्छा जाहिर की है कि न्यूनतम मुआवजा राशि है वह लम्प-सम लोगों को दे दी जाये ताकि 90 प्रतिशत दावों का निपटारा एकदम हो जाये और जो अनावश्यक विलंब हो रहा है उससे बचा जाये, क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी?

श्री राम लखन सिंह यादव : सभापति महोदय, सरकार का ध्यान बिल्कुल सही रूप में इस पर है। सरकार चाहती है कि इसका जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाये। जहां तक 56 अदालतों का सवाल है, स्वेच्छापूर्वक रिलीफ कमिश्नर को अधिकार दिया गया कि जिसको चाहें, जैसे चाहें रख करके इनका निपटान जल्दी कर लें। 56 में से मात्र 38 कोर्ट कायम है बाकी के लिये यदि उन-को मजिस्ट्रेट नहीं मिले तो उसके बाद उन्होंने कहा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार सबों की इच्छा से उनको इन-फारमेशन दे दिया गया कि आप चाहे तो अगर मजिस्ट्रेट नहीं मिलते हैं तो आप सात साल का अच्छा रिकार्ड वाला वकील हो उसको भी रख कर, पावर देकर यह काम दे सकते हैं। लेकिन उनके सामने भी कुछ कठिनाईयां हैं। उनको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद कार्य करते हैं। अभी तक जो जजेज कार्यरत थे उनमें से 6 ट्रांसफर हो गये हैं। उन की भी जगह खाली है। और जो वह चाहते हैं, वह भी अभी नहीं मिले हैं। इस सबको देखते हुये हम लोग स्वयं इस पर बहुत तत्पर है कि अधिक से अधिक जजों को बहाल करके चाहे जैसे जिस रूप में हो यह सब निष्पादन के लिये कार्य किया जाये। उन्हों की सहायता के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को भी रखा गया है ताकि उनको सलाह-मशिवरा दें कि कैसे जल्दी से जल्दी इन कामों का निपटारा किया जा सके। चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट के रिडायर्ड जज हैं इसलिये उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। एक हमारे हाई कोर्ट के जज हैं जिनके जिम्मे वेलफेयर कमिश्नर का काम दिया गया है। इस तरह से सरकार की प्रबल इच्छा है और हम सब तरह से माननीय सदस्य के सेंटीमेंटस के साथ हैं,चाहे जिस तरह से हो इसमें अधिक से अधिक लोगों को रखकर कम से कम समय में सब केसेज का निष्पादन कर दिया जाये। अभी जैसे इन्होंने स्वयं कहा कि जिस गति से चल रहा है तीन साल के अन्दर हम इसका निष्पादन कर पायेंगे। इसके बावजूद भी जितना जल्दी हो वह सारा प्रयास हम कर रहे है।

श्री सुरेश पचौरी : मध्य प्रदेश सरकार ने गैस पीड़ितों के पुनर्वास के लिये एक एक्शन प्लान तैयार किया था जिस की अवधि 31 मार्च, 1995 को खत्म हो रही है और जिस एक्शन प्लान के तहत केन्द्रीय सरकार के द्वारा 163 करोड़ रुपये राज्य सरकार को दिये गये। अभी फिर 10वां वित्त आयोग जो के०सी० पन्त की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश में गया था उसके समक्ष गैस पीड़ितों के पुनर्वास की व्यवस्था के लिये, 1995 के आगे से 1999 तक का जो एक्शन प्लान राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया है वह 158 करोड़ रुपये का है। मैं

केन्द्रीय सरकार से आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गैस पीड़ितों के पुनर्वास की व्यवस्था के लिये 158 करोड़ रुपये का एक्शन प्लान प्रस्तुत किया गया है, क्या सरकार उसके बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ? साथ ही जो मुआवजे की राशि है उस राशि का वितरण वह केवल मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर ही नहीं करेगी क्योंकि यदि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही दिया गया तो सौ में से 94 लोग कम्पेनसेशन लेने से वंचित हो जायेंगे जबकि इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च की जो रिपोर्ट है वह इसके विपरीत है। क्या दावा अदालतों में उनके केसेज पर विचार करने के लिये केन्द्रीय सरकार आई.सी.एम.आर. की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुये उनके दावा प्रकरण निपटाने पर विचार करेगी?

श्री राम लखन सिंह यादव : महोदय, माननीय सदस्य ने कई प्रश्नों को एक ही साथ रख दिया है। मैं इनको सूचित करना चाहता हूं कि जहां तक मध्य प्रदेश सरकार का जो एक्शन प्लान बना था वह तीन कामों के लिये बना था--- रिहैबिलीटेशन के लिये, मेडिकल के लिये, सामाजिक सुधार के लिये लोगों को रोजगार देने के लिये, और उस वक्त जो प्लान बना था वह लगभग 158 करोड़ रुपये का है...

श्री सुरेश पचौरी : 163 करोड़ रुपये का।

श्री राम लखन सिंह यादव : 164 करोड़ लगभग होता है। 163 करोड़ 57 लाख रुपये का है। उसमें 75 फीसदी केन्द्र सरकार देती है और 25 फीसदी वहां की राज्य सरकार देती है। इस संबंध में जितने कार्य किये गये हैं वे सराहनीय हैं। उसके अनुसार जो भी काम होगा वह हम लोग सब देख रहे हैं और सब करवा रहे हैं। जहां तक इन्होंने कहा कि दूसरी योजना, एक्शन प्लान में पुनः उन्होंने 158 करोड़ रुपये का दिया है, उसके लिये मुझको नोटिस चाहिये। वह क्या प्लान है, क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको देखेंगे। लेकिन अभी तक 163 करोड़ रुपये जो दिये गये हैं, उसमें सभी रुपया खर्च नहीं हुआ है। लेकिन काफी प्रगति है। अस्पताल भी बहुत बने हैं, लोगों के रहने के लिये रिहैबिलीटेशन के लिये मकान भी बहुत बने हैं। इसी तरह से सामाजिक कार्यों में उनके कई तरह के रोजगार के लिये, उनके बाल-बच्चों और महिलाओं के लिये सब काम हुये हैं इस तरह से उसमें अभी तक सब सराहनीय काम हुआ है।

श्रीमती वीणा वर्मा : भोपाल गैस त्रासदी के बारे में मेरी जानकारी के अनुसार 25 अध्ययन रिपोर्टस, प्रोजेक्ट रिपोर्टस अभी तक तैयार की गयी हैं। उनसे से कितनी प्रोजेक्ट रिपोर्टस अलग-अलग विभागों की आ चुकी हैं। अखबार में छपी खबरों के अनुसार जो रिपोर्टस आ चुकी हैं वे धूल खा रही हैं, उनपर धूल जमी हुई है, कोई एक्शन नहीं है या बीच में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी आने से पहले उनको रोक दिया गया है। तो क्या स्थिति है यह जानना चाहूंगी। एक और छोटा-सा सवाल है। उस समय जब घटना घटी थी 1984 में दिसम्बर में जब गैस पीड़ितों की तीन केटेगरीज बनाई गई थीं एक तो बहुत ज्यादा प्रभावित न्यूनतम प्रभावित और कम प्रभावित। तो अब देखा जा रहा है कि इतने साल बाद उसके कुछ आनुवांशिक जो आउट कम हैं वह अब निकल कर आ रहे हैं, जो उस समय उस कैटेगरी में नहीं आ पाये थे, तो क्या इस कैटेगरी को फिर से निर्धारित करेंगे? महिलाओं पर कौन सी अध्ययन रिपोर्ट आई है और दावा रिपोर्टों में बच्चों को शामिल नहीं किया गया है ? महिलाओं में देखा गया है कि आनुवांशिक जो रिपोर्टस दी गई थीं वह अभी उस पर एक्शन नहीं हुआ है और बच्चों में विकृतियां पैदा हो रही हैं, तो क्या सरकार कोई महिलाओं के संबंध में अलग से रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और महिलाओं पर कितने अध्ययन हुये हैं ? उसमें कितने केसेज का निपटारा हुआ है और कितने केसेज

महिलाओं संबंधी अभी पेंडिंग है? इसके साथ ही बच्चों के संबंध में वहां के निदेश डा० पाठक जो अध्ययन कर रहे थे उनका कहना है कि बच्चों की रिपोर्ट तैयार की गई थी जिस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, तो उस पर मंत्री जी क्या करने जा रहे हैं ?

श्री राम लखन सिंह यादव : महोदय, यह दुर्घटना 1984 के दिसम्बर महीने में घटी और एकाएक इस तरह की घटना घटी तो जितना संभव हो सकता है उससे ज्यादा बढ़कर वहां की सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने उसी दिन से बहुत से कार्य किये हैं और हर तरह से लोगों को रीलीफ देने का काम किया है । उसके डिटेलज में देखा गया है कि करोड़ों उसमें खर्च हो गये हैं । उसके पहले यह सब कपेंसेशन देने के पहले चाहे उनको खाने के लिये हो, चाहे उनको भिन्न-भिन्न जगहों में रखने का सवाल हो, चाहे मेडिकल एड हो, वहीं से नहीं, उस प्रदेश के सारे डाक्टर तो आ ही गये, बाहर से भी स्वयंसेवी संस्थाओं ने डाक्टरों को भेजा है । इस तरह से कई हजार डाक्टरों को बुलाया गया और जितना संभव हो सका, चाहे महिलाओं का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे बुढ़ों का हो, किसी का भी हो, सबके सबको यथासंभव जो भी बन सका, सब को जांच करके तुरन्त जो हो सकता है रिलीफ दिया गया । जहां अस्पताल नहीं थे तो वहां एक नहीं दर्जनों अस्पताल पब्लिक के बिल्डिंग्ज में खोल दिये गये हैं और तब से यह सब काम हो रहे हैं ।

श्रीमती वीणा वर्मा : महिलाओं के बारे रिपोर्ट, माननीय मंत्री जी ।

श्री राम लखन सिंह यादव : जहां तक महिलाओं का सवाल है तो वह तो सारे केसेज वहां के डाक्टर्ज कर रहे हैं और जो हमारा केन्द्र का मेडिकल रिसर्च है जो डाक्टरों की सबसे बड़ी संस्था है वह भी उसमें पड़ी हुई है । वहां पर जो डाक्टर देखते हैं सबकी जांच कर लेते हैं । अगर उससे कोई संतुष्ट नहीं होता तो दिल्ली की जो मेडिकल संस्था है उसके पास ले जाते हैं । इसके अलावा यह भी उनको छूट दी गई है कि दोनों से जो संतुष्ट नहीं होंगे, अगर कोई ऐसा अथेंटिक डाक्टर हो जो कि उस रोग के बारे में बताये कि यह इन केसेज में नहीं किया गया इसके अलावा यह रोग इनको है, उसको भी मान लिया जाता है । इस तरह से सभी स्रोतों से जितना संभव हो सकता है, उनको मेडिकल एड देने को सब तरह से है । महिलाओं के बारे में अलग से कोई सूची अभी नहीं है ।

श्रीमती वीणा वर्मा : सर, प्रोजेक्ट रिपोर्टस बीच में रोक दिये गये जो अध्ययन कर रहे थे, आंकड़े इकट्ठे कर रहे थे उनको वापस बुला लिया गया है और फिर से कैटेगरी निर्धारित करेंगे और बच्चों को क्या दावा रिपोर्टस में शामिल किया गया है, मुआवजे और मेडिकल एड देने के लिये, उसके बारे में भी बतायें ?

श्री राम लखन सिंह यादव : कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बीच में नहीं रोका गया है । जो प्रोजेक्ट चल रहा है वह चल रहा है । उसमें और जितना जोड़ने का सवाल होगा, जोड़ा जायेगा । अभी तक हमारे सामने वह घटाने का कोई प्रश्न नहीं है ।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN; Thank you, Sir. Actually, there are eight categories of claimants under the Bhopal gas tragedy — a,b,c,d... total disablement, permanent injury, temporary injury, permanent injury and so on. I would like the hon'ble Minister to give us information about the different categories, and about how many claims have been settled under each category. For instance under the category of temporary injury, how many claims have actually been settled?

Sir, the (b) part of my question is this: The Minister has, unfortunately, not understood what Veenaji has said, the major problem of the Bhopal gas tragedy is that the women who were pregnant at

that time were seriously affected. it had a serious effect upon those women — so much so that the offsprings who were born after the tragedy would have been affected physically, in some form or the other, and thereafter, this will be a recurrent genetic problem for the people who have been exposed to the Bhopal gas tragedy. The major lacuna in the Notification that was issued in 1985 was that the children who were born with defects, congenital defects, as a result of this tragedy were not covered under the Notification. It is no use saying that you can go to the hospital and doctors will examine you. The doctors are not going to examine the children who are born later. They are not claimants yet. So, the question is: What are you doing about those children who are born with defects as a result of their mothers having been pregnant during the tragedy and whose genetic defects will continue for generations? So, I would like the Minister to tell us, categorywise, the number of claims that have been settled. Give us those details. And tell us whether they will include in the notification this category of children which has been left out.

श्री राम लखन सिंह यादव : जहां तक क्षतिपूर्ति के विषय में दावे का प्रश्न है, मैं आपको फिगर्स दे दूं कि मृत्यु के कुल दावे 15,310 प्राप्त हुये हैं, इनसे में 11,722 का निष्पादन हो चुका है जिसमें से 5,157 सही पाये गये हैं और उनका पेमेंट हो गया है। इनके लिये जो राशि पास की गयी है, वह है 57.81 करोड़। यह हैं मृत्यु के दावे। चोट के दावे प्राप्त हुये हैं, जैसा उन्होंने कहा 6 लाख, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। महोदय, 5 करोड़ 57 लाख 306 दावे समायोजित हुये हैं अभी तक। हमारी फिगर तब तक थी 67,664 और लेटेस्ट फिगर कही गयी है करीब 72,002 जिनका कि निष्पादन हो चुका है। इसमें अवार्ड की राशि 189 करोड़ 98 लाख पास की गई है। इस तरह से जितने दावे जिस कैटेगरी में आये हैं, उन सभी को दिया गया है। अब श्रेणी उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की है। उसमें जो राशि देना तय हुआ है, वह है मृत्यु के लिये एक से लेकर 5 लाख तक, स्थायी या अस्थायी विकलांगता के लिये 50 हजार से 2 लाख तक, अत्यधिक गंभीर चोट के लिये 4 लाख तक, मामूली चोटों के दावों के लिये 20 हजार तक, परिजनों को हुई क्षति के लिये 15 हजार तक और जानवर की क्षति के लिये 10 हजार तक। यह भिन्न-भिन्न कैटेगरी के सवाल के बारे में आपको हमने बताया और उसके लिये जितना निष्पादन हुआ वह भी मैंने बताया। महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि जो गर्भवती महिलायें थीं या जिनके पेट में बच्चे थे, उनकी क्या हालत रही या महिलाओं को अलग से रोककर देखा गया कि नहीं, इसके अभी मेरे पास फिगर्स नहीं हैं। मैं इसे पता लगाऊंगा और माननीय सदस्या के पास अगर खबर हो तो हमारी मदद करें ताकि इस की ओर भी हमारा ध्यान जाये। अगर इस तरह की जानकारी हमारे पास आजायेगी तो वह भी और हम खुद पता लगायेंगे कि इस तरह के केसेज़ कितने हैं और कहां हैं ?

श्री रजनी रंजन साहू : सभापति महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि 56 दावा अदालत जब काम करेंगी तो दावे का निपटारा हो जाएगा। महोदय, मैं केन्द्र सरकार की सराहना करता हूं कि उन्होंने सिंदवाल कमेटी बनाई जोकि एक साल की अवधि के लिए बनाई गई, लेकिन इस पूरे एक साल में उसकी एक मीटिंग हुई है और अब उसकी अवधि समाप्त होने जा रही है। मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि उस मीटिंग में कोई निर्णय भी नहीं हुआ। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आखिर उनका कब तक और किस ढंग से दावों का निपटारा करने का कार्यक्रम है? साथ ही एक निश्चित अवधि में इन पूरे दावों का निपटारा हो जाए, इस बारे में क्या कार्यक्रम है, यह भी सदन को बतायें?

श्री राम लखन सिंह यादव : महोदय, मैंने पहले कहा कि दो कमेटियां हैं। जहां तक सिंदवाल कमेटी का प्रश्न है, वह

[श्री राम लखन सिंह यादव]

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। उनका काम सलाहकार बनना है। वह मीटिंग कर के आफिसर्स को सलाह देते हैं कि कैसे सहूलियत से, जल्दी-से-जल्दी इन कामों का निष्पादन किया जाए। असल में इस संबंध में जो काम करने का है और जो मेंबर सिदवाल कमेटी में हैं, वह हैं जस्टिस कुरेसी वह भोपाल हाईकोर्ट के जस्टिस हैं और उनका काम सभी केसेज को देखकर निपटारा करना है। उनको पूरी छूट है कि वह जितने जजों को चाहें रख सकते हैं, जितना चाहें रख सकते हैं दूसरे लोगों को जैसे मैंने कहा कि वकील को रखकर कर सकते हैं, जितनी जल्दी कर दें उनकी स्वेच्छा है। वह जितनी चाहें हम सहायता देते हैं और सब तरह से मदद करते हैं। इनके काम में कहीं रुकावट हम लोगों की ओर से नहीं है बल्कि जैसा माननीय सदस्य ने अभी कहा है, हम लोगों की भावना भी यही है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस काम को करें लेकिन उनके काम में किसी प्रकार का हम इंटरफियरेंस नहीं करना चाहते ताकि उनको जो अधिकार दिया गया है, उसमें उनको कोई ऐतराज न हो। हम इस काम में काफी सतर्क हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उनको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी बहुत मामले में सलाह लेनी पड़ती है, उनकी सलाह मानकर के आगे बढ़ते हैं। जजिस का सवाल उनके बिना नहीं हो सकता है, जो जजिस ट्रांसफर हो गए हैं, उनको भी रखने का अधिकार उन्हें नहीं, वह चीफ जस्टिस ही करेंगे। इसके अलावा जो सात साल के एक्सपीरिएंस्ड वकीलों को रखना है, उसका भी परमिशन वही देंगे। . . (व्यवधान)

श्री रजनी रंजन साहू : यह सब कठिनाइयां तो अध्यक्ष महोदय हैं लेकिन केन्द्र सरकार का इसमें क्या रोल है, इसकी क्या भूमिका है, कैसे इसका निबटारा करेगी, इसके बारे में कुछ बतायेंगे, कोई निश्चित अवधि देंगे—5 साल, 10 साल, 20 साल? केन्द्र सरकार की कोई भूमिका तो होनी चाहिए या अगर कोई भूमिका नहीं है तो बता दें कि कोई भूमिका नहीं है।

श्री राम लखन सिंह यादव : माननीय सदस्य का संभवतः यह विचार गलत है कि 10 साल, 20 साल या 50 साल इसमें लगेगा। स्वयं जो काम कर रहे हैं, वे उस कठिनाई को जानते हैं, जो नहीं करते हैं वे उस कठिनाई को महसूस नहीं करते हैं। जिस तरह के आज कम्प्लीकेशन्स पैदा हुए हैं और जिस तरह से इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, उसके लिए तीन साल की अवधि उन्होंने अब तक कहा है कि हम कर देंगे और तीन साल के अंदर में ही जितनी जल्दी यह काम हो सके उसके लिए पूरी सहायता हम करने को तैयार हैं और कर रहे हैं। हम रोज उस पर नजर रखते हैं। इसके अलावा माननीय सदस्य वहां के हमारे पचौरी जी हैं या माननीया सदस्या हैं या और माननीय सदस्य जो हैं, अगर वे चाहें और इसमें हमें और सहायता करें या सहूलियत का रास्ता बतायें कि किस रास्ते से चलकर जल्दी हो सकता है तो उसमें भी हम लाभ उठायेंगे।

श्री सुरेश पचौरी : एक मीटिंग बुला लीजिए लोकल एम. पीज. की।

श्री राम लखन सिंह यादव : माननीय सदस्य ने कहा है कि लोकल एम.पी.ज की बैठक बुला लीजिए, मैं बुला लूंगा।

*263. [*The Questioners (Shri Yerra Narayanaswamy and Shri V. Hanumantha Rao) were absent For answer vide Col. . . .infra.*]

*264. [*The Questioners (Shri Janardan Yedav and Shri Trilokinath Chaturvedi) were absent. For answer Vide Col... infra.*]

*265. [*The Questioner (Shri K. R. Malkani) was absent. For answer vide col. . . . . infra)*

Firing on trespassers on Defence establishments

*266. SHRI G. PRATHAPA REDDY:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:†

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) how many instances of firing by Defence personnel on trespassers on

†The Question was actually asked on floor of the House by Dr. Shrikant Ram Chandra Jichkar.